संख्या-17/2024/1190/94-स्टा०रजि०-2-2024-700(69)/2024

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 26 सितम्बर, 2024**

विषय-टोल प्लाजा से सम्बन्धित लीज डीड पर स्टाम्प प्रभार्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1298/स्टाम्प विविध-85/2024 दिनांक 12.09.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिविल अपील संख्या-8985/2013 रीवा टोल वे प्रा0लि0 बनाम मध्य प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19-07-2024 में टोल प्लाजा से सम्बन्धित कन्सेसनायर एग्रीमेंट/लाइसेंस को लीज का विलेख मानते हुए अपील का निस्तारण किया गया है, उक्त आदेश का प्रभावी अंश निम्नवत् है:-

> **"28-** With regard to the questions as to whether the Concession Agreement is a lease or a bond or license. The Definition of lease as givion under I.S act clearly covers any instrument by which tolls of any description are left & also under section 105 of the TP act all the ingredients of a lease are fulfilled.....
>
> **33-** In the case of Rewa Tollway, the total cost of the project was Rs. **54** crores, out of which, approximately **50%** would be that of the lessee and **50%** to be funded by the lessor Le. MPRSNN, respondent no. **3.** However, further reading of the Concession Agreement reflects that the amount to be spent by the lessee was not exactly **50%** but is slightly different figure, At some places, it is mentioned as Rs. **24.10** crores and in other places a different amount is mentioned. We are not entering into this issue of what is the amount spent but we require that this be determined by the Collector (Stamps) / Revenue Officer of the concerned district,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

34- Once, the stamp duty is payable on the amount spent by the lessee, the demand raised on the whole amount would be unjustified, as such, to the above extent, the demand needs to be set aside with a further direction to the Revenue Officer/Collector (Stamps) of the district concerned to re-calculate the same as observed above and, accordingly, raise the demand. In case, the appellants have deposited the demand raised on the entire project cost then the amount lying in excess with the State would be refunded to them. However, in case of any deficit in stamp duty having not been deposited, the appellants would deposit the same within two months of the fresh demand being raised by the Revenue Officer/Collector (Stamps) of the district concerned. The Collector (Stamps)/Revenue Officer is further directed to calculate the said amount in each of the cases Individually and communicate the same to the appellants within a period of two months from today and where the amount is lying in excess with the State, the same shall be refunded within a period of two months of such determination.

35- The appeals stand partly allowed as above. No costs**.**

3- मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लीज ग्रहीता द्वारा प्रोजेक्ट कास्ट पर व्यय किये गये अंश पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य किया जाना मार्गदर्शक बिन्दु के रूप में ग्राह्य हो सकता है। यदि उत्तर प्रदेश में कन्सेशन एग्रीमेन्ट पर उक्तानुसार स्टाम्प शुल्क प्रभार्यता निर्धारित की जाये तो इससे राजस्व हित संरक्षित होने के साथसाथ एकरूपता भी आयेगी**,** जिससे शुल्क प्रभार्यता संबंधी अनिश्चितता व विसंगतियां दूर होंगी**,** तथा करापवंचन की सम्भावना क्षीण होगी। अत: मा० सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 19-07-2024 में निहित राजस्व हितों के दृष्टिगत उक्त आदेशों का अनुपालन कराये जाने हेतु अपने अधीनस्थों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण।
2. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त आदेशों के अनुपालन हेतु समस्त अधीनस्थों को निदेशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।